CNR No.– UPFD–040–50005–2022
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद
प्रकीर्ण वाद सं० 3843/2022
दिनेश भारद्वाज बनाम खलीकउज़्मा आदि।

दिनांक–02–01–2023

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है, पेश हुई। विगत तिथि को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र धारा–156 (3) द०प्र०स० पर सुना जा चुका है।

आवेदक का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी सम्पत्ति सं० –23 डाकबंगला फिरोजाबाद का स्वामी व काबिज है। सम्पत्ति पर मस्जिद व गली के पास एक चाय का खोखा रखा हुआ है और पीछे गायों को बांधने हेतु एक छप्पर था एक अन्य खोखा व 2 पुरने ट्रक भी खडे है लगभग तीन माह पूर्व विपक्षीगण द्वारा किसी असमाजिक तत्व को उकसाकर बल्ली उखडवाकर गिरा दिया था। दिनांक 01–01–22 को रात्रि लगभग 11.30 बजे उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा किसी असमाजिक तत्व को दुष्प्रेरित व उकसाकर उक्त चाय के खोखे में आग लगा दी है जिससे प्रार्थी का काफी नुकसान हुआ है। विपक्षीगण प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने के लिये अमादा है। घटना के सम्बन्ध में आवेदक ने प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भेजा किन्तु कार्यवाही नही होने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरेाजाबाद को प्रेषित प्रार्थनापत्र, जनसुनवाई केन्द्र की रसीस, डाक रसीद व आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र में उल्लखित तथ्यों के सम्बन्ध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके चाय के खोखे में आग लगाने आरोप कथित किये है। आवेदक विपक्षीगण को उनके नाम व पते के साथ जानता पहिचानता है तथा स्वयं अपने साक्ष्य से मामले को साबित कर सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुखवासी बनाम उ० प्र० राज्य–2007 (59) ए०सी०सी०–739 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जोसेफ माथुरी उर्फ विश्वेश्वरानन्द व अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी व अन्य–2001 (सप्ली) ए०सी०सी० माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुक्रम मे न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच की जा सकती है। अतः मामले को परिवाद के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) द०प्र०सं० निस्तारित करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि मामले को परिवाद के रूप मे CIS पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा–200 द०प्र०सं० दिनांक 13–02–2023 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।